

मैनुअल स्कैवेंजिंग

प्रलिस के लयि:

मैला ढोने/मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्यल से नपिटने हेतु पहलें, स्वच्छ भारत मशिन ।

मेन्स के लयि:

हाथ से मैला ढोने की समस्यल, अनुसूचित जलति, अनुसूचित जनजलति से संबंढति मुददे ।

चरुल में क्युँ?

हल ही में सलमलक न्यल और अधकलरतल मंत्रलल दवलरल जलनकलरी सलझल की गई है कवलरुष 1993 से अब तक कुल 971 लुगुँ ने सीवर यल सेप्टकल टैक की सफलई के दुरलन अपनी जलन गँवलई है ।

- इससे पहले केंदुरीय मंत्रमंडल दवलरल **रलषुदुरीय सफलई करुमचलरी आयुग** (National Commission for Safai Karamcharis- NCSK) के कलरुयकलल कु 31 मलरुच, 2022 से आगे और तीन सलल बढलने हेतु मंजुरी दी गई थी । इसके प्रमुख ललभलरुथी देश में सफलई करुमचलरी और पहचलन कलरुय गल हाथ से मैला ढोने वलले/मैनुअल स्कैवेंजिंग के कलरुय में संलगुन लुग हुँगे ।

प्रमुख बढु

मैनुअल स्कैवेंजिंग:

- मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) यल हाथ से मैला ढोने कु "सरुवजनकल सडकुँ और सूखे शुकललयुँ से मलनव मल कु हटलने, सेप्टकल टैक, नललयुँ एवं सीवर की सफलई" के रूड में प्रभलषतल कलरुय गल है ।

मैनुअल स्कैवेंजिंग की कुप्रथल के प्रसर कल कलरुण:

- उदलसीन रवैयल:** कई अधयनुँ में रलजुय सरकलरुँ दवलरल इस कुप्रथल कु सलमलत कर पलने में असफलतल कु सुवीकलर न करनल और इसमें सुधलर के प्रयलसुँ की कमी कु एक बडुी समस्यल बतलल गल है ।
- आउटसुोरस की समस्यल:** कई स्थलनीय नकललयुँ दवलरल सीवर सफलई जैसे कलरुयुँ के लयल नजुी ठेकेदलरुँ से अनुबंध कलरुय जलतल है परंतु इनमें से कई फ्ललई-बलय-नलडुट ऑपरेटर" (Fly-By-Night Operator), सफलई करुमचलरलरुँ के लयल उचतल दशल-नरुदेश एवं नयलमलवली कल प्रबंधन नही करते हैं ।
 - ऐसे में सफलई के दुरलन कसुी करुमचलरी की मृतुयु होने पर इन कंउनरुयुँ यल ठेकेदलरुँ दवलरल मृतक से कसुी भी प्रकलर कल संबंढ होने से इनकलर कर दलल जलतल है ।
- सलमलजकल मुददल:** मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथल जलतल, वरुग और आय के वभलजन से प्रेरतल है ।
 - यह प्रथल भरत की जलतल वुयवस्थल से जुडुी हुई है, जहलँ तथलकथतल नचलली जलतलरुँ से ही इस कलम कु करने की उमुीद की जलती है ।
 - "मैनुअल स्कैवेंजर्स कल रुजुगलर और शुषक शुकललय कल नरुमलण (नषुध) अधनलनलडुड, 1993" के तहत देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथल कु प्रतलबुधतल कर दलल गल है, हललुँकल इसके सलथ जुडुल कलंक व भेदभलव अब भी जलरी है ।
 - इससे हाथ से मैला ढोने वललुँ के लयल वैकलपकल आजीवकल सुरकुषतल करनल मुशुकलल हु जलतल है ।

मैला ढोने की समस्यल से नपिटने हेतु उठलए गल कदम:

- हलथ से मैलल उठलने वलले करुमथलरुँ के नयुुुजन कल प्रतलषुध और उनकल पुनरुवलस (संशुधन) वधुयक, 2020:**
 - इसमें सीवर की सफलई कु पूरी तरह से मशीनीकृत करने, 'ऑन-सलडुट' सुरकुषल के उडलल करने और सीवर सफलई के दुरलन होने वलली मुुतुँ के मलमले में मैनुअल स्कैवेंजर्स कु मुआवजुल प्रदलन कलरुय जलने कल प्रसुतलव है ।
 - यह मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूड में नयुुुजन कल प्रतलषुध और उनकल पुनरुवलस अधनलनलडुड, 2013 में संशुधन हुगल ।

- इसे अभी तक कैबिनेट से मंजूरी नहीं मली है ।
- हाथ से मैला उताने वाले कर्मियों के नयोजन का प्रतर्षिध और उनका पुनर्वास अधनियिम, 2013:
 - वर्ष 1993 के अधनियिम का स्थान लेते हुए वर्ष 2013 का अधनियिम सूखे शौचालयों पर प्रतर्षिध से परे है तथा यह अस्वच्छ शौचालयों, खुली नालियों एवं गड्ढों आदि सभी की मैनुअल सफाई को अवैध बनाता है ।
- अस्वच्छ शौचालयों का नरिमाण और रखरखाव अधनियिम 2013:
 - यह अस्वच्छ शौचालयों के नरिमाण या रखरखाव तथा कसिी को भी हाथ से मैला ढोने हेतु काम पर रखने के साथ-साथ सीवर और सेप्टिकि टैंकों की खतरनाक सफाई को गैरकानूनी घोषति करता है ।
 - यह अन्याय और अपमान की कषतपूरति के रूप में हाथ से मैला ढोने वाले समुदायों को वैकल्पकि रोजगार तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लयि एक संवैधानकि ज़मिेदारी भी प्रदान करता है ।
- अत्याचार नवारिण अधनियिम:
 - वर्ष 1989 में अत्याचार नवारिण अधनियिम स्वच्छता संबंधी कार्यकर्त्ताओं के लयि एक समन्वति गारड बन गया । इस दौरान मैला ढोने वालों के रूप में कार्यरत 90% से अधिक लोग अनुसूचति जातिके थे । यह मैला ढोने वालों को नरिदषिट पारंपरकि व्यवसायों से मुक्त करने के लयि यह एक महत्त्वपूरण मील का पत्थर साबति हुआ ।
- सफाई मतिर सुरक्षा चुनौती:
 - इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में वशिव शौचालय दविस (19 नवंबर) पर लॉन्च कयिा गया था ।
 - सरकार द्वारा सभी राज्यों के लयि अप्रैल 2021 तक सीवर-सफाई को मशीनीकृत करने हेतु इसे एक 'चुनौती' के रूप में शुरू कयिा गया, इसके तहत यदकि कसिी व्यक्ती को अपरहार्य आपात स्थति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उचति गयिर और ऑक्सीजन टैंक आदि प्रदान कयिा जाते हैं ।
- 'स्वच्छता अभयान एप':
 - इसे अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वालों के डेटा की पहचान एवं जयिोटेग करने हेतु वकिसति कयिा गया है, ताकि अस्वच्छ शौचालयों को सैनटिरी शौचालयों में बदला जा सके और सभी हाथ से मैला ढोने वालों को जीवन की गरमिा प्रदान करने हेतु उनका पुनर्वास कयिा जा सके ।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय: वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश ने सरकार के लयि उन सभी लोगों की पहचान करना अनवार्य कर दयिा था, जो वर्ष 1993 से सीवेज के काम में मारे गए थे और प्रत्येक व्यक्ती के परवार को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दयिा जाने का भी आदेश दयिा गया था ।

आगे की राह

- स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाना: स्वच्छ भारत मशिन को 15वें वतित आयोग द्वारा सर्वोच्च प्राथमकिता वाले कषेत्र के रूप में पहचाना गया और स्मार्ट शहरों एवं शहरी वकिस के लयि उपलब्ध धन के साथ हाथ से मैला ढोने की समस्या का समाधान करने के लयि एक मज़बूत आधार प्रदान कयिा गया ।
- सामाजकि सुभेदयता: हाथ से मैला ढोने के पीछे की सामाजकि स्वीकृती को संबोधति करने के लयि पहले यह स्वीकार करना और समझना आवश्यक है किकैसे और कयों जातिव्यवस्था के कारण हाथ से मैला ढोना अभी भी जारी है ।
- राज्य और समाज को रुचिलेने की आवश्यकता: राज्य एवं समाज को इस मुद्दे में सकरयि रूप से रुचिलेने की ज़रूरत है और इस प्रथा का सही आकलन कर इसके उन्मूलन के लयि सभी संभावति वकिल्पो पर गौर करने की ज़रूरत है ।

वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: 'राष्ट्रीय गरमिा अभयान' एक राष्ट्रीय अभयान है, जसिका उद्देश्य है: (2016)

- बेघर एवं नरिशरति व्यक्तियों का पुनर्वास और उन्हें आजीवकि के उपयुक्त स्रोत प्रदान करना ।
- यौनकर्मियों को उनके अभ्यास से मुक्त करना और उन्हें आजीवकि के वैकल्पकि स्रोत प्रदान करना ।
- हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खतम करना और हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास करना ।
- बंधुआ मज़दूरों को मुक्त करना और उनका पुनर्वास करना ।

उत्तर: (c)

- राष्ट्रीय गरमिा अभयान वर्ष 2001 में शुरू कयिा गया, मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन और इस कार्य में संलग्न लोगों के लयि गरमिापूरण जीवन सुनशिचति करने हेतु यह एक राष्ट्रीय अभयान है । अत: वकिल्प (c) सही है ।

स्रोत: द हट्टि

